

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली
बईजलास : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री भेरूलाल पिता गंगाराम गाडरी निवासी पलानाखुर्द तहसील घासा ।
2. श्री देवेन्द्र पिता भगवानलाल पुरोहित निवासी लोपडा तहसील मावली ।
3. श्री हरिनारायण पिता भंवरलाल पुरोहित निवासी लोपडा तहसील मावली ।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली
2. पटवारी पटवार मण्डल लोपडा तहसील मावली ।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 332 / 25 (वाद)

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब पेश मुद्दायलह होकर हुक्म दिया जाकर अंतिम डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा लोपडा पटवार हल्का लोपडा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077-80 के खाता संख्या 321 पर दर्ज आराजीयात का बंटवारा मुताबिक विभाजन सूची निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदारों के नाम	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान
1.	देवेन्द्र पिता भगवानलाल 1/2, हरिनारायण पिता भंवरलाल 1/2 पुरोहित सा. देह खातेदार	522	0.2914	चा.प्र., जा.प्र. बा.प्र.	0.08
		520 / 1	0.0273		0.04
	योग :-	किता-2	0.3187	-	0.12
2.	भेरूलाल पिता गंगाराम गाडरी सा. लालावास पलानाखुर्द तहसील घासा	520 / 2	0.1912	बीड, बा.प्र. चा.प्र., जा.प्र., बीड	0.39
		521 / 2	0.1274		0.06
	योग :-	किता-2	0.3186	-	0.45
3.	सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार	521 / 1	0.0911	बीड	0.04
	योग:-	किता-1	0.0911	-	0.04

नोट :- उक्त डिक्री का नक्शा ट्रेस एवं विभाजन सूची अभिन्न अंग रहेगे ।

बसब्त मैरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **19.12.2025** को जारी की गई ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर

